



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-629

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 314032 दिनांक 10/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Mohit Pawar S/o Om Prakash Pawar	मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र गोपाल लाल गुप्ता	SHOP105	23.31 SQ. METER	JDA	CENTRAL SPINE Sector/Block- BC-07	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना सेन्ट्रल स्पाइन के ब्लॉक बी/सी-7 की शाँप नंबर 105 क्षेत्रफल 23.31 व.मी. की लीजडीड दिनांक 28.02.2014 को मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र गोपाल लाल गुप्ता के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2019 को मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र गोपाल लाल गुप्ता द्वारा प्रीतिका खत्री पत्नी प्रदीप कुमार तोलानी को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2021 को प्रीतिका खत्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								पत्नी प्रदीप कुमार तोलानी द्वारा मोहित पंवार पुत्र ओम प्रकाश पंवार को कर दिया गया। आवेदक द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड की मूल पत्रावली जोन कार्यालय रिकार्ड अनुसार प्राप्त नहीं हो पा रही है जिसकी तलाश जारी है। सीपीआरएमएस पर दर्ज रिकार्ड अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 28.02.2014 को मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र गोपाल लाल गुप्ता के नाम से जारी होना दर्ज है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Mohit Pawar S/o Om Prakash Pawar को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।